**दिनांक 06/12/2019 को अपराहन 4:00 बजे उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिव्यांगजन को निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही–**

**उपस्थितिः–**

1. डा0 शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना।
2. श्री पंकज कुमार सिंह, निदेशक उद्योग, बिहार, पटना।
3. श्री एस0 एन0 राम, संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
4. श्री आर0 के0 ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
5. श्री विशेश्वर प्रसाद, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
6. श्री अविनाश कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
7. श्री संजीत कुमार, सलाहकार (SIPB), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
8. श्रीमती विद्या कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना।

• सर्वप्रथम निदेशक उद्योग, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में आहुत बैठक मे उपस्थित सभी पदाधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया गया तदुपरांत उक्त बैठक मे उपस्थित सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के परिचय के साथ बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

17/02/20

➢ दिव्यांगजन को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 35 अन्तर्गत जिसमें समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कार्यबल में कम से कम पाँच (5) प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगें, पर चर्चा हुई। इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की निजी क्षेत्र में किसी भी तरह की नई इकाई जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) अन्तर्गत स्थापित होगा, के अन्तर्गत पाँच (5) प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजन को नियोजित करने का प्रावधान किया जाय।

➢ • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37 के अनुपालन के संबंध में बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत महिला/दिव्यांग को स्वयं का अंशदान (5%) एवं सब्सिडी की दर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35% तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25%, परियोजना लागत अन्तर्गत प्रावधानित है।

PAWAN KUMAR/HIDAI SIPB/331

Scanned with CamScanner

- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अन्तर्गत निहित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि यदि महिलाओं, दिव्यांग वॉर–विडो (War Widow), एसिड अटैक की शिकार, थर्ड जेंडर के उद्यमी द्वारा नई इकाई की स्थापना की जाती है तो ब्याज अनुदान हेतु ब्याज का दर 11.5 प्रतिशत या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज का दर जो कम होगा वह अनुमान्य होगा (सुक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार–विडो, एसिड अटैक की शिकार तथा थर्ड जेंडर के उद्यमी सुक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थापना करते है तो उन्हें ब्याज दर 13.8 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम हो ब्याज अनुदान देय होगा।

- आयोजित बैठक के मुख्य संवाद बिंदु के क्रम में उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि आगामी विभागीय मासिक बैठक की कार्यवाही में उक्त विषय को भी सम्मिलित किया जाय एवं बैठक की सूचना राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना को दिया जाय, जिससे कि वे अपने पदाधिकारी/कर्मचारी के साथ बैठक में भाग लेकर एक प्रस्तुति के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम् 2016 के प्रावधानों से सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को अवगत करा सकें। जागरुकता अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के समान अवसर की नीति के साथ उनकी क्षमता का उपयोग करने हेतु समुचित वातावरण उपलब्ध कराया जाय।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह/0

**उद्योग निदेशक,**
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–534 /पटना, दिनांकः–12·2·2020

**प्रतिलिपिः**– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना/ संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ संयुक्त उद्योग निदेशक(तक0), बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/श्री संजीत कुमार, सलाहकार(SIPB), उद्योग निदेशालय,/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/श्रीमती विद्या कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**उद्योग निदेशक,**
बिहार, पटना।

(7)

Scanned with CamScanner